भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 2026

दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026
(2026 का 01)

एफ. सं. M-6/(2)/2023-FEA-I – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उप धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 7 में (इसके बाद " मूल टैरिफ आदेश" के रूप में संदर्भित)-

(क) उपखंड (iii) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा

"(iii) यदि कोई सेवा प्रदाता रिपोर्टिंग आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह लाइसेंस के निबंधन और शर्तों, या अधिनियम के प्रावधानों या नियमों या विनियमों या किए गए आदेशों या उसके तहत जारी किए गए निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, पहले सात दिनों के लिए देरी के प्रत्येक दिन के लिए वित्तीय निरुत्साहन के माध्यम से दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि यह उल्लंघन सात दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है, तो वह विलंब के प्रत्येक बाद के दिन के लिए, जब तक चूक जारी रहती है, बीस हज़ार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा–बशर्ते कि यह कुल राशि पाँच लाख रुपये से अधिक न हो, जैसा कि प्राधिकरण किसी आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के लिए किसी भी राशि के भुगतान का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए टैरिफ आदेश के उल्लंघन के मामले में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो;

बशर्ते जहां प्राधिकरण को सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण उचित प्रतीत होते हों, वहां प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन को माफ अथवा वित्तीय निरुत्साहन की राशि को कम कर सकता है ।

(ख) उपखंड (iii) के बाद, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iv) यदि कोई सेवा प्रदाता वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के लिए आदेश में निर्धारित अवधि के अंदर उप-खंड (iii) के तहत वित्तीय निरुत्साहन की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से दो प्रतिशत अधिक होगी, जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन पड़ता है।“

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए**,** ब्याज की गणना करने हेतु महीने के किसी भी एक हिस्से को एक पूर्ण कैलेंडर महीने के रूप में गिना जाएगा**,** और महीने की गणना अंग्रेजी कैलेंडर महीने के अनुसार होगी।

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड 7ए को हटा दिया जाएगा।

(डी. मनोज)
प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)

नोट 1.– दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात इसे नीचे दिए अनुसार संशोधित किया गया:

संशोधन क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक
पहला	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.03.1999
दूसरा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 31.05.1999
तीसरा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 31.05.1999
चौथा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 28.07.1999
पांचवां	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 17.09.1999
छठा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.09.1999
सातवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.03.2000
आठवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 31.07.2000
नौवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 28.08.2000
दसवां	306-1/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 09.11.2000
ग्यारहवां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 25.01.2001
बारहवां	303-1/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 25.01.2001
तेरहवां	303-4/ भादूविप्रा-2001 दिनांक 01.05.2001
चौदहवां	306-2/भादूविप्रा-2001 दिनांक 24.05.2001
पंद्रहवां	310-1(5)/ भादूविप्रा-2000 दिनांक 20.07.2001
सोलहवां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 14.08.2001
सत्रहवां	301/2/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 22.01.2002
अठारहवां	303/3/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.01.2002
उन्नीसवां	303/3/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 28.02.2002
बीसवां	312-7/2001-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 14.03.2002
इक्कीसवां	301-6/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 13.06.2002
बाईसवां	312-5/2002- भादूविप्रा(इको) दिनांक 04.07.2002
तेईसवां	303/8/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 06.09.2002
चौबीसवां	306-2/2003- इकॉन दिनांक 24.01.2003
पच्चीसवां	306-2/2003- इकॉन दिनांक 12.03.2003
छब्बीसवां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 27.03.2003
सत्ताईसवां	303/6/2003-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 25.04.2003
अट्ठाईसवां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 05.11.2003
उनतीसवां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 03.12.2003
तीसवां	301-4/2004(इकॉन) दिनांक 16.01.2004
इकतीसवां	301-2/2004-इको दिनांक 07.07.2004

बत्तीसवां	301-37/2004-इको दिनांक 07.10.2004
तैंतीसवां	301-31/2004- इको दिनांक 08.12.2004
चौंतीसवां	310-3(1)/2003- इको दिनांक 11.03.2005
पैंतीसवां	310-3(1)/2003- इको दिनांक 31.03.2005
छत्तीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 21.04.2005
सैंतीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 02.05.2005
अड़तीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 02.06.2005
उनतालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 08.09.2005
चालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.09.2005
इकतालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
बयालीसवां	301-34/2005-इको दिनांक 07.03.2006
तैंतालीसवां	301-2/2006-इको दिनांक 21.03.2006
चवालीसवां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
पैंतालीसवां	301-18/2007-इको दिनांक 05.06.2007
छियालीसवां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
सैंतालीसवां	301-14/2008-इको दिनांक 17.03.2008
अड़तालीसवां	301-31/2007-इको दिनांक 01.09.2008
उनचासवां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
पचासवां	301-24/2012- ईआर दिनांक 19.04.2012
इक्यावनवां	301-26/2011- ईआर दिनांक 20.04.2012
बावनवां	301-41/2012-एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
तिरपनवां	301-39/2012-एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
चौवनवां	301-59/2012-एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
पचपनवां	301-10/2012-एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
छप्पनवां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
सत्तावनवां	312-2/2013-एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
अट्ठावनवां	312-2/2013-एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014
उनसठवां	310-5 (2)/2013-एफएण्डईए दिनांक 21.11.2014
साठवां	301-16/2014-एफएण्डईए दिनांक 09.04.2015
इकसठवां	301-30/2016-एफएण्डईए दिनांक 22.11.2016
बासठवां	301-30/2016-एफएण्डईए दिनांक 27.12.2016
तिरसठवां	312-1/2017-एफएण्डईए दिनांक 16.02.2018

चौंसठवां	301-20/2018-एफएण्डईए दिनांक 24.09.2018
पैंसठवां	301-03/2020-एफएण्डईए दिनांक 03.06.2020
छियासठवां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
सत्तासठवां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022
अड़सठवां	सी/(5)/2021-एफईए-II दिनांक 07.04.2022
उनहत्तरवां	सी/(2)/2021-एफईए-I दिनांक 06.12.2022
सत्तरवां	आरजी-13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I दिनांक 23.12.2024
इकहत्तरवां	आरजी-(6)/2024- एफईए-II दिनांक 16.06.2025

नोट 2.– व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

परिचय और पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है।

2. भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ विनियमन की शुरुआत *दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999* (जिसे आगे "टीटीओ, 1999" कहा गया है) की अधिसूचना के साथ की गई थी। इस टैरिफ आदेश ने देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए व्यापक और दीर्घकालिक नीतिगत रूपरेखा प्रदान की । टीटीओ, 1999 के माध्यम से आरंभ किए गए टैरिफ सुधारों का उद्देश्य टैरिफ के विनियमन के लिए एक सुसंगत और पारदर्शी रूपरेखा प्रदान करना था, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ विनियमन और/या प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वहन करने योग्य मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें; सब्सिडी की पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए आधार प्रदान किया जा सके; और उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।

3. भादूविप्रा ने वर्षों के दौरान 'टैरिफ दरों के निर्धारण' की अवस्था से 'पूर्व अनुमोदन के साथ फॉरबेयरेंस' की अवस्था और अंततः विनियामक निगरानी के साथ 'पश्चात रिपोर्टिंग दायित्व सहित फॉरबेयरेंस व्यवस्था' की अवस्था तक प्रगति की है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ फॉरबेयरेंस के अधीन हैं, सिवाय ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, लीज्ड सर्किट्स तथा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा (यूएसएसडी) के ।

4. किसी सेवा के लिए टैरिफ फॉरबेयरेंस का अर्थ यह है कि भादूविप्रा ने उस विशेष दूरसंचार सेवा के लिए फिलहाल कोई टैरिफ अधिसूचित नहीं किया है और सेवा प्रदाता निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए ऐसी सेवा के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। टैरिफ फॉरबेयरेंस कभी भी भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई स्थायी नीति नहीं रही है और न ही है। यदि परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो प्राधिकरण के लिए यह सदैव खुला रहता है कि वह फॉरबेयरेंस व्यवस्था से पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस आ सके, जिसमें रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में परिवर्तन करने का विकल्प भी सम्मिलित है। ऐसे उदाहरण पहले से विद्यमान हैं, जहाँ प्राधिकरण ने उन सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने के

लिए हस्तक्षेप किया है, जिन्हें प्रारम्भ में फॉरबेयरेंस के अधीन रखा गया था।

5. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भादूविप्रा को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। तथापि, प्रचलित बाज़ार परिदृश्य के आधार पर फॉरबेयरेंस को अपनाने से समय के साथ दूरसंचार बाज़ार की संरचना और कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

6. फॉरबेयरेंस की नीति ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को टैरिफ निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप बाज़ार में नए और नवोन्मेषी उत्पादों का उद्भव हुआ है, जिन्हें उपभोक्ताओं को वहन करने योग्य और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस दृष्टि से, फॉरबेयरेंस ने डिजिटल संपर्क के विस्तार तथा उपभोक्ता-प्रेरित दूरसंचार ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के व्यापक नीतिगत उद्देश्य का समर्थन किया है।

7. उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि यद्यपि टैरिफ फॉरबेयरेंस लचीलापन प्रदान करता है तथा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, तथापि यह सेवा प्रदाताओं को कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है। फॉरबेयरेंस एक नीतिगत साधन है जिसे प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाया गया है और जिसे बाज़ार की परिस्थितियों तथा उभरते जोखिमों के आधार पर किसी भी समय पुनरीक्षित या संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ फॉरबेयरेंस का अर्थ विनियामक निष्क्रियता नहीं है। प्राधिकरण किसी भी समय टैरिफ निर्धारण के लिए पूर्व अनुमोदन व्यवस्था अपनाते हुए हस्तक्षेप कर सकता है।

8. फॉरबेयरेंस व्यवस्था के परिणामस्वरूप संकेंद्रित बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की संभावना उत्पन्न हो सकती है, जहाँ प्रभुत्वशाली संचालक छोटे प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के लिए अव्यवहार्य रूप से कम मूल्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और विकल्पों में कमी आ सकती है। इससे पुनर्प्राप्ति (रिकूपमेंट) की संभावना उत्पन्न होती है, जिसमें प्रभुत्वशाली संचालक बाद में मूल्य बढ़ाकर एकाधिकार स्तर तक ले जा सकते हैं और हुए घाटे की भरपाई कर सकते हैं।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, टैरिफ फाइलिंग को कोई मामूली या तकनीकी आवश्यकता नहीं माना जा सकता। बल्कि, यह एक महत्वपूर्ण विनियामक दायित्व है जो फॉरबेयरेंस नीति की आधारशिला का निर्माण करता है। इस रूपरेखा के अंतर्गत, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं को निर्देश देता है कि वे कार्यान्वयन के सात कार्य दिवसों के भीतर नए टैरिफ प्रस्तावों अथवा उनमें किए गए परिवर्तनों की सूचना प्रस्तुत करें।

10. वर्ष 2012 में प्राधिकरण ने यह पाया कि टैरिफ की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित समय-

सीमाओं का सेवा प्रदाताओं द्वारा गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा था और इससे उन सेवा प्रदाताओं को प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था जो नियमित रूप से अपने टैरिफ प्लान समय पर प्रस्तुत करते थे। टैरिफ रिपोर्टिंग में समय-सीमा का पालन न करने से प्राधिकरण को उस स्थिति में समय पर हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिल पाता था, जब संबंधित टैरिफ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता था और/या उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। अतः प्राधिकरण ने टैरिफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए वित्तीय निरुत्साहन लागू करने का निर्णय लिया, जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक देरी के मामले में ₹ 2 लाख निर्धारित की गई। तदनुसार, खंड 7 में उप-खंड (iii) जोड़ा गया।

11. इसके अतिरिक्त, खंड 7ए जोड़ा गया, जिसमें उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं द्वारा देय वित्तीय निरुत्साहनों का प्रावधान किया गया। इस खंड के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में प्राधिकरण के संज्ञान में यह आता है कि टीटीओ, 1999 तथा अन्य विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त शुल्क वसूल किया गया है और उसे प्रभावित ग्राहकों को वापस करने का आदेश दिया गया है, ऐसे मामलों में सेवा प्रदाता उक्त धनवापसी के अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, ग्राहकों से वसूली गई उस अतिरिक्त राशि की कुल राशि से अधिक न होने वाली राशि भादूविप्रा को जमा करेंगे।

दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश का मसौदा:

12. विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संबंधित विनियामक प्रावधानों में संशोधन करने हेतु, प्राधिकरण ने यह दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश का मसौदा प्रस्तुत किया है। इस मसौदा परामर्श में अधिकतम सीमा निर्धारित करने, उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप क्रमिक (ग्रेडेड) तरीके से वित्तीय निरुत्साहन लागू करने तथा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान में चूक होने की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रावधान सम्मिलित था।

13. प्राधिकरण ने *दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2025* का मसौदा 16.10.2025 को जारी किया। इस मसौदे में वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित किए गए थे:–

क. उप-खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(iii) यदि कोई सेवा प्रदाता रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, तो वह, अपने लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए

नियमों, विनियमों या आदेशों अथवा जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में, पहले सात दिनों के लिए प्रत्येक दिन की देरी के लिए ₹10,000 की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि उल्लंघन सात दिनों से अधिक अवधि तक जारी रहता है, तो चूक की निरंतरता की अवधि के दौरान प्रत्येक आगामी दिन की देरी के लिए अतिरिक्त ₹20,000 की राशि देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख होगी, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है:

बशर्ते कि– प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के रूप में किसी राशि के भुगतान के संबंध में कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा प्रेक्षित टैरिफ आदेश के उल्लंघन के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तिसंगत अवसर न प्रदान किया गया हो:

परंतु यह भी कि– यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत कारणों में प्राधिकरण को पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है, तो प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है अथवा वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि आरोपित कर सकता है;

(b) उप-खंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

(iv) यदि कोई सेवा प्रदाता वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के लिए आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर उप-खंड (iii) के अधीन देय वित्तीय निरुत्साहन की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी दर उस वित्तीय वर्ष के आरंभ में लागू भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय सीमांत उधार लागत दर से दो प्रतिशत (2%) अधिक होगी, जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन आता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना के उद्देश्य से माह का कोई भी भाग पूर्ण कैलेंडर माह माना जाएगा तथा माह को अंग्रेज़ी कैलेंडर माह के रूप में माना जाएगा।

3. मूल टैरिफ आदेश का खंड 7ए विलोपित किया जाएगा।

14. हितधारकों को मसौदा टीटीओ पर अपनी टिप्पणियाँ 07.11.2025 तक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मसौदा परामर्श के प्रत्युत्तर में विभिन्न हितधारकों, जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, संघों तथा अन्य हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

हितधारकों की टिप्पणियों का परीक्षण तथा दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश

15. प्राधिकरण ने वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का परीक्षण किया है। मसौदा टीटीओ पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ तथा प्राधिकरण द्वारा उनका परीक्षण/विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में दिया गया है।

16. दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश के मसौदे के समर्थन में, एक हितधारक ने उल्लेख किया कि प्रस्तावित संशोधन विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को बढ़ाकर मौजूदा विनियामक रूपरेखा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं। हितधारक ने यह भी उल्लेख किया कि क्रमिक (ग्रेडेड) वित्तीय निरुत्साहन संरचना का लागू किया जाना निष्पक्षता और समानुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य निरुत्साहनों की मात्रा को एक समान या मनमाने दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय उल्लंघन की गंभीरता के साथ तालमेल बैठाना है।

17. कुछ हितधारकों ने वित्तीय निरुत्साहनों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने, अनुपालन न करने की गंभीरता के आधार पर क्रमिक निरुत्साहनों को लागू करने तथा भुगतान में विलंब के मामलों में ब्याज लगाने के प्रस्ताव की भी सराहना की है। इसके अतिरिक्त, खंड 7ए को हटाने के प्रस्ताव को भी हितधारकों ने सकारात्मक रूप से देखा है, यह कहते हुए कि इससे विनियामक अतिव्यापन समाप्त होगा और दोहराव से बचाव होगा, जिससे अनुपालन दायित्वों को सरल बनाया जा सकेगा।

18. दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में पारदर्शिता और औचित्य की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में प्राधिकरण का मत है कि क्रमिक (ग्रेडेड) वित्तीय निरुत्साहनों की व्यवस्था लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि लगाया गया दंड उल्लंघन की गंभीरता, सेवा प्रदाता के आशय तथा उल्लंघन के प्रभाव के अनुरूप हो। क्रमिक वित्तीय निरुत्साहन का उद्देश्य निरुत्साहन की राशि को अनुपालन न करने की प्रकृति और गंभीरता से जोड़ना है, न कि एक समान दंड लागू करना। ऐसा दृष्टिकोण विनियामक फ्रेमवर्क की अखंडता बनाए रखने तथा हितधारकों को निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से अत्यधिक उच्च दंड अथवा दंडात्मक परिणामों को रोका जा सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ उल्लंघन मामूली तौर पर या अनजाने में हुआ हो। सीमा-निर्धारित रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय निरुत्साहन प्रभावी निरोधक के रूप में कार्य करें, बिना सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव डाले, विशेषकर छोटे संस्थानों पर, जिससे सेवा की निरंतरता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहनों के भुगतान में विलंब या भुगतान न करने की स्थिति में

ब्याज लगाने का प्रस्ताव जानबूझकर किए गए विलंब को हतोत्साहित करने और विनियामक आदेशों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। यह उपाय न केवल समय पर और उत्तरदायी वित्तीय आचरण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि विनियामक दायित्वों के पालन के महत्व को भी सुदृढ़ करता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनियमों में पहले से ही अपनाए जा रहे हैं तथा यह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप भी है।

19. कुछ हितधारकों ने मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता के संबंध में चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में प्राधिकरण का मत है कि यह वर्तमान आदेश अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता को बढ़ाकर संबंधित विनियामक प्रावधानों को सुदृढ़ करेगा। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक उपयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित करने, उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप एक क्रमिक (ग्रेडेड) संरचना लागू करने तथा वित्तीय निरुत्साहनों के भुगतान में विलंब की स्थिति में ब्याज लगाने का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण का दृढ़ मत है कि टैरिफ फाइलिंग को किसी मामूली अथवा केवल प्रक्रियात्मक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके विपरीत, यह एक मौलिक विनियामक दायित्व है और फॉरबेयरेंस व्यवस्था की आधारशिला का निर्माण करता है। समय पर और सही रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की चूक के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं तथा बाजार के सुव्यवस्थित संचालन पर पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि टैरिफ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अधिक कठोरता से पालन किया जाए, ताकि प्राधिकरण पारदर्शिता, गैर-भेदभाव तथा गैर-शोषण मूल्य निर्धारण के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में टैरिफ का बिना विलंब परीक्षण कर सके।

20. कुछ हितधारकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 प्राधिकरण को प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से मौद्रिक दंड या वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का उल्लेख किया जाता है, जो प्राधिकरण को न केवल विनियमन करने की शक्ति प्रदान करता है, बल्कि विनियमों तथा टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। "सुनिश्चित करना" शब्द का अनिवार्य आशय है, जिसका अर्थ है "निश्चित करना"। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17 अगस्त, 2007 के निर्णय में, सिविल अपील संख्या 2104/2006 (सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और अन्य बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य) में, अन्य बातों के साथ यह प्रतिपादित किया कि "यह सुव्यवस्थित विधि सिद्धांत है कि विनियमन करने की शक्ति में उसके प्रवर्तन की शक्ति भी निहित होती है।". भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधिनियमन के प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि उसकी प्रस्तावना से स्पष्ट होता है, और जो

भादूविप्रा पर भी लागू होते हैं, दूरसंचार सेवाओं का विनियमन करना, दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा दूरसंचार क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है।

21. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व प्राधिकरण पर आरोपित करने के अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(डी) के अंतर्गत भादूविप्रा को ऐसी अन्य कार्यवाहियाँ करने की शक्ति भी प्रदान की गई है, जिनमें ऐसे प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में माननीय न्यायालय ने बार-बार यह सिद्धांत पुनः प्रतिपादित किया है कि किसी विधि को इस प्रकार पढ़ा और व्याख्यायित किया जाना चाहिए जिससे उसके अधिनियमन के उद्देश्य की पूर्ति हो, न कि इस प्रकार जिससे उसके मुख्य उद्देश्यों का ह्रास हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय *कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अन्य [(2004) 5 SCC 430]* में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय *अरबिंद दास और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य [AIR 1981 Gau 18 (FB)]* का उल्लेख करते हुए कहा कि जहाँ किसी अधिनियम द्वारा कोई शक्ति प्रदान की जाती है, वहाँ ऐसी शक्ति का यह भी अभिप्राय होता है कि उस शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक वैध कदम उठाए जा सकते हैं, भले ही ऐसे कदम अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित न किए गए हों। माननीय न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यह निर्धारित करते समय कि किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा दावा की गई कोई शक्ति उस अधिनियम द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों के परिशिष्ट या सहायक रूप में मानी जा सकती है या नहीं, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या ऐसी शक्ति अधिनियम के प्रावधानों से युक्तिसंगत निहितार्थ के रूप में प्राप्त होती है तथा क्या ऐसी शक्तियाँ उन उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जिनके लिए अधिनियम द्वारा प्राधिकरण को यह शक्ति प्रदान की गई है।

22. यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय *यू.पी. कोऑपरेटिव केन यूनियंस फेडरेशन्स बनाम वेस्ट यू.पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य (AIR 2004 SC 3697)* का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जिसमें माननीय न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, यह प्रतिपादित किया कि "विनियमित करना" शब्द व्यापक प्रभाव वाला पद है, जिसका अर्थ विस्तृत है और जो न केवल अधिनियम में विशेष रूप से निर्दिष्ट पहलुओं को समाहित करता है, बल्कि सद्भावना से परिकल्पित विनियमन से संबद्ध सहायक शक्तियों को भी अपने अंतर्गत समेटता है, तथा इसका अर्थ उस संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है और उस अधिनियम के उद्देश्य के आधार पर भी। माननीय न्यायालय ने यह

भी कहा कि भले ही अधिनियम में टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान न की गई हो, तथापि गन्ने के मूल्य के विनियमन की शक्ति में टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति भी निहित होगी। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसी शक्ति जो प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो, वह भी प्रदत्त मानी जाएगी यदि वह विनियमन की व्यापक और सामान्य शक्ति के प्रयोग के लिए अंतर्निहित रूप से आवश्यक हो।

23. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण को विनियमों तथा टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन न करने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेशों के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करते हुए इस शक्ति का प्रयोग किया है।

24. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि वित्तीय निरुत्साहनों में प्रस्तावित वृद्धि असंगत है तथा वर्तमान अधिकतम सीमाएँ और दरें या तो यथावत रखी जानी चाहिए अथवा उनका युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्राधिकरण का मत है कि प्रस्तावित संरचना समानुपातिक है तथा भादूविप्रा के मूल अधिदेश को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वित्तीय निरुत्साहन तंत्र सात-दिवसीय रिपोर्टिंग चक्र पर कार्य करता है, जिसमें समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंड क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। प्रारंभिक सात दिनों तक की देरी के लिए ₹10,000 का वित्तीय निरुत्साहन लागू होगा। सात दिनों से अधिक की देरी की स्थिति में प्रत्येक आगामी दिन के लिए ₹20,000 की अतिरिक्त राशि लागू होगी। यह क्रमिक व्यवस्था एक ओर स्पष्ट अवकाश अवधि प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर क्रमशः अधिक प्रभावी निरोधक उपाय भी सुनिश्चित करती है। प्राधिकरण का यह भी मत है कि ये वित्तीय निरुत्साहन न तो अत्यधिक हैं और न ही मनमाने, बल्कि इन्हें टैरिफ रिपोर्टिंग की महत्वता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण को टैरिफ की रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की देरी टैरिफ आकलन के मूल सिद्धांतों–अर्थात् भेदभाव-रहितता, गैर-शोषण मूल्य निर्धारण तथा पारदर्शिता–को कमजोर कर सकती है। चूँकि टैरिफ का देशभर के उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए रिपोर्टिंग में विलंब विनियामक परीक्षण से बच निकलने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे संभावित रूप से भेदभावपूर्ण आचरण, परभक्षी मूल्य निर्धारण तथा ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन के विस्तार की संभावना बढ़ सकती है। प्राधिकरण का मत है कि वित्तीय निरुत्साहनों की यह रूपरेखा समयबद्ध रिपोर्टिंग अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जो वहनीयता और प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

25. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया है कि पहली बार होने वाली या अनजाने में हुई देरी को मामूली प्रक्रियात्मक चूक के रूप में देखा जाना चाहिए तथा वित्तीय निरुत्साहन मुख्यतः बार-बार होने वाले या जानबूझकर किए गए अनुपालन-उल्लंघन के मामलों में ही लागू किया

जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस आदेश में पहले से ही ऐसा प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत प्राधिकरण, यदि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत कारणों में पर्याप्त औचित्य पाता है, तो वित्तीय निरुत्साहन को माफ कर सकता है अथवा आरोपित राशि को कम कर सकता है। यह प्रावधान विनियामक प्रवर्तन में एक सुरक्षा-तंत्र के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इससे सभी मामलों में एक समान दंड लागू करने की स्थिति से बचाव होगा।

26. यह प्रावधान हितधारकों द्वारा दिए गए उन सुझावों का भी ध्यान रखता है जिनमें कहा गया था कि वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करते समय उल्लंघन की महत्वपूर्णता, अनुपालन न करने के प्रभाव तथा सेवा प्रदाताओं के अनुपालन अभिलेख को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह खंड ऐसी स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन को पूर्णतः माफ करने या उसकी राशि को कम करने की अनुमति देता है, यदि सेवा प्रदाता ऐसे कारण प्रस्तुत करता है जिन्हें प्राधिकरण ठोस और युक्तिसंगत मानता है। इस प्रकार यह प्रावधान कड़े अनुपालन और निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे सेवा प्रदाताओं पर अनावश्यक कठिनाई डाले बिना विनियामक उद्देश्यों को बनाए रखा जा सके।

27. हितधारकों ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रस्तावित रूपरेखा को जन विश्वास विधेयक, 2025 तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एजेंडा जैसे व्यापक नीतिगत उद्देश्यों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए, और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वित्तीय निरुत्साहनों का उद्देश्य राजस्व-संग्रह नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया है कि वित्तीय निरुत्साहन लगाते समय उल्लंघन की महत्वपूर्णता, अनुपालन न करने के प्रभाव तथा सेवा प्रदाताओं के अनुपालन अभिलेख जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, तथा वास्तविक मामलों में वित्तीय निरुत्साहनों के स्थान पर परामर्श या चेतावनी तंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहाँ तक जन विश्वास पहल तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एजेंडा के साथ समन्वय का प्रश्न है, प्राधिकरण का मत है कि एक पूर्वानुमेय, पारदर्शी तथा समानुपातिक प्रवर्तन रूपरेखा विनियामक निश्चितता को सुदृढ़ करती है और अंततः व्यवसाय करने की सुगमता को समर्थन प्रदान करती है। वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा का उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल समयबद्ध अनुपालन को प्रोत्साहित करना तथा सेवा प्रदाताओं के बीच विनियामक निगरानी सुनिश्चित करना है।

28. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण का मत है कि तीन प्रमुख उपायों–अर्थात् उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर क्रमिक (ग्रेडेड) रूप से वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करना, वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना तथा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान में विलंब या चूक की स्थिति में ब्याज लगाना–को लागू करने से विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय निरुत्साहनों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और निष्पक्षता तथा समानुपातिकता को बनाए रखते हुए प्रवर्तन को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

29. मूल टैरिफ आदेश के खंड 7ए का विलोपन: प्राधिकरण का मत है कि सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) के विनियम 9(2) के अंतर्गत समान प्रकार का वित्तीय निरुत्साहन प्रावधान पहले से विद्यमान होने के कारण तथा दोनों प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन आरोपित करने में संभावित दोहराव या किसी प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन आरोपित न हो पाने की संभावना से बचने के लिए, मूल टैरिफ आदेश के खंड 7ए को समाप्त करना उचित होगा। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, क्योंकि मीटरिंग और बिलिंग लेखापरीक्षा उक्त विनियमों के माध्यम से की जाती है और अतिरिक्त शुल्क की पहचान भी उन्हीं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

अस्वीकरण: यह दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 का हिन्दी अनुवाद है । किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार टैरिफ (बहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2026 मान्य होगा ।

****